प्रकरण संख्या 53/2018 रूपसिंह बनाम शंकरसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सदारण में आराजी नंबर 1240, 1241, 1243, 1245 व 1246 कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा 10 बिश्वांसी भूमि स्थित है, जो वादीगण की मौरूसी भूमि होकर वादीगण पीढ़ियों से काबिज चले आ रहे हैं। माफिक मिलान सेटलमेन्ट उपरोक्त खसरा नंबर के गत नंबर 1124 थे, जिनके 4 हिस्सेदार थे, जिसमें से एक हिस्से का खातेदार मकना पिता बौमा था, जिसका एक पुत्र भैरा हुआ तथा भैरा के फोत होने पर उक्त मकना के 1/4 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 शंकरसिंह हुआ। इसी प्रकार एक हिस्से के खातेदार पुरा व मावा पिता गोदा थे, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण हिस्सा माना पिता हिमता को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया, जो प्रतिवादी संख्या 2 है। इसी प्रकार सम्पूर्ण हिस्सा डूंगा, कल्ला पिता सुना दर्ज है, जो फोत हो गये। डूंगा के वारिस में उसका एक मात्र पुत्र भेरा फोत हो गया, जिसके पांच वारिस होकर बड़ा पुत्र देवीसिंह था, जो फोत हो गया, जिसके एक पुत्र मोहन है। इसी प्रकार कल्ला के वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 6 हैं। यानि उक्त भूमि में तीसरे में से आधे हिस्से के खातेदार वादीगण हैं। उक्त भूमि के शेष चौथे हिस्से के हकदार उदा पिता अखा थे, जिसका पुत्र कानसिंह था, जो फोत होकर उसके तीन पुत्र गमनसिंह, मानसिंह व तेजसिंह हुए, जिन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1980 को वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, किन्तु पटवारी को रजिस्ट्री की प्रति देने के बावजूद जमीन वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुई है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को 3/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा करा 1/2 हिस्सा हटाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/8 हिस्सा दर्ज कर [illegible]तेदारान के नाम हटाकर वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार [illegible] दर्ज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकर[illegible] लोक अदालत में र[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:34 IST
Reason: SelfAttested

अपने निर्णय दिनांक 03.06.2015 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14.09.2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री भगवानलाल पालीवाल उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को सूचना दिये बिना प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को माह अगस्त 2018 में अपने अधिवक्ता से मिलने पर हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **RRD 1992 page 17, RRT 2011 (1) page 602** प्रस्तुत की।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर उक्त न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। उपरोक्त न्यायिक नजीरों अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया गया है। तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में उक्त वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा का था तथा इसी जमीन बाबत् सहखातेदारी में गलत इन्द्राज हो जाने से रेस्पोन्डेन्ट ने बंटवारे का गलत वाद कर रखा था तथा दोनों में रिलीफ अलग थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी स्थिति को देखे बिना मात्र रेस्पोन्डेन्ट शंकरसिंह द्वारा बंटवारे का वाद प्रस्तुत करने के आधार पर प्रश्नगत वाद चलने योग्य नहीं मानकर जो निर्णय पा[illegible] है, वह विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है व अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.16 12:48:34 IST
Reason: SelfAttested

की जावे तथा अपीलान्टगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **RRT 2018 (2) page 864, RRT 2018 (1) page 582, RRT 2016-17 (Supp.) page 566, DNJ 2018 (4) page 1391** प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन कर प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादीगण को बिना कोई सूचना दिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर उन्हें बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर **RRT 2018 (2) page 864, RRT 2018 (1) page 582, RRT 2016-17 (Supp.) page 566** की रोशनी में विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.06.2015 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 20.02.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:34 IST
Reason: SelfAttested